(d) and (e). Appropriate steps will be taken, if unaccountable shortages in stock are detected.

Appointment of Special Assistant by Industries Minister

3344. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industries Minister was refused to have a Special Assistant of his own choice; if so, reason therefor;

(b) whether the person concerned (who has been referred) is a competent economist; and

(c) whether the Government is, on the basis of Administrative Reforms Commission's recommendation, going to bring people from outside so as to benefit from their experience and expertise or is it going to stick to generalists and not experts?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): (a) and (b). A proposal for appointment of a non-official as the Special Assistant to the former Minister of Industry was considered but it was decided that as persons holding such posts should have knowledge of governmental rules and procedures of work in a Ministry it would be more useful to appoint a Government servant to the post.

(c) There is no bar to appoint people from outside the Government services to posts where their experience and expertise is considered to be more useful.

सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा

3345. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु आयु की कोई सीमा निर्धारित है;

(ख) क्या सरकार महसूस करती है कि वह इस से योग्य बेरोजगार व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी सेवा में प्रवेश हेतु अत्यधिक आयु सीमा की इस प्रथा को समाप्त करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमाएं, उस सेवा पद के लिए आवश्यक अर्हताओं तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए, समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। इससे सरकार द्वारा सम्बन्धित सेवाओं/पदों के लिए सब से अधिक उपयुक्त व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त किया जाना सुनिश्चित हो जाता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

सेवाओं में पदों का आरक्षण

3346. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1976 को श्रेणी एक, दो, तीन और चार में केन्द्रीय सरकार की सेवा में कुल कितने कर्मचारी थे और उनमें हरिजनों और आदिवासियों के लिए कितने पद आरक्षित थे, कितनों पर उनकी नियुक्ति हुई और शेष पदों को भरने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : सेवाओं में, जहां कहीं भी आरक्षणों की व्यवस्था है, वे समय समय पर होने वाली रिक्तियों के सम्बन्ध में है न कि किसी सेवा अथवा संवर्ग की कुल पद संख्या के सम्बन्ध में। 31-12-1976 को श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III तथा श्रेणी IV में कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों